बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या–वानिकी निगम–02/2014– /प0व0, पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या–332, दिनांक 28.01.2013 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–वानिकी निगम 02/2014–412/प0व0, दिनांक 09.02.2015 के माध्यम से बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती के आधार पर कुल 91 (इक्यानवे) केन्दु पत्ती की इकाईयों को उनकी संख्या, नाम तथा मानक बोरों में उपलब्ध मात्रा सहित प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार अधिसूचित किया गया था। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली केन्दु पत्ती इकाईयों की प्रामाणिक सूचना ससमय उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उन्हें उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं किया जा सका था।

पूर्व अधिसूचित 91 (इक्यानवे) केन्दु पत्ती इकाईयों के अतिरिक्त कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी के बाहर पड़ने वाली केन्दु पत्ती इकाईयों की संख्या, उनके नाम एवं उनमें उपलब्ध केन्दु पत्तियों की मानक बोरों में मात्रा निम्नवत् है, जिनमें बिहार वानिकी विकास निगम लि0 द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्दु पत्ती का संग्रहण, भंडारण एवं विपणन कार्य किये जायेंगे।

प्रादेशिक प्रक्षेत्र	इकाई संख्या	इकाई का नाम	अधिसूचित मात्रा (मानक बोरों में)
रोहतास	671	मधुकुपिया	620
	672	परछा	710
	673	तियोरा	1620
	674	बौलिया	300
	675	कोरियारी	525
	676	नकटी भवनवा	1150
	677	चकडीह	1095
सासाराम	678	रमडिहरा	570
	680	चैनपुर	840
	681	सासाराम	980
चेनारी	706	भीतरी बाँध	2120
	707	नौहट्टा	2000
	710	मल्हीपुर	2530
भभुआ	698	कल्याणपुर	1280

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

राजू कुमार

P T O

ज्ञापांकः– वानिकी निगम–02/2014– **/प0व0, पटना 15, दिनांक............**

प्रतिलिपिः–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– वानिकी निगम–02/2014– 323 **/प0व0, पटना 15, दिनांक** 27/01/16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।